

10.17

पत्रावली / आलय बहस अधिवक्ता पत्र /  
रिपोर्ट सारिमा देखी दावा दर्ज रजिस्ट्रार  
है। जलित की लपकी देख सम्मन जारी  
लेकट 18.11.19 को पेस है।

18 11/19

फावली पेस। वकील वादी उपर ही जलित। 18.11.19  
की ओर ही श्री गणेश मेलेठ एड. डार वकालत-  
नामा पेस किया। साम ही इकवालिया जवाब  
पेस किया। copy रिजवाइर गई। मा. का. ही वार्ड  
जवाब लेकट 29.11.19 को पेस है।

दिनेन्द्र मिश्रा

29 11/19

पत्रावली पेस। वकील पत्रकार उपस्थित है।  
वादी उपर। जवाब सकार केद किया जाता  
है। वादी डार साक्ष्य शपथपत्र पेस किया  
शामिल मिसल किया गया। जदर्य-1। 18  
जदर्य A11A डाले गये।

बहस विडान अधिवक्ता वादी सुनी।  
नौरान बहस विडान अधिवक्ता वादी डार  
वादपत्र के लपकी को दोहराकर वाद वादी  
लीकार तले के सम्मन किया।

बाद बहस पत्रावली का आस्थापान

29/11/19

तारीख  
हुकम

2

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम  
में जा

अवलोकन एवं मनन किया गया वादी  
द्वारा वादपत्र में अंकित कथन, वकिल लक्ष्य,  
वैदिक अनुलोष, उत्तिवादीगण का इकवासीमा  
अवाव, एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज  
पर सम्यक विधिखंगल विचार किया गया

उदर्य-1 से उदर्य-3 तक वादपत्र शीम  
पर वादी का नाम अनाम सहकारिताएन के  
साम दिनेन्द्र कुमार बिआ ही दर्ज थी  
परन्तु उदर्य-4 से उदर्य-5 तक दिनेन्द्र कुमार  
बिआ अंकित कर दिया गया थी

उदर्य-9A- उदर्य-10A- व उदर्य-11A के  
अवलोकन से प्रमाणित होता है, कि वादी का  
नाम राज्य रिकार्ड के अतिरिक्त दस्तावेजों  
में दिनेन्द्र कुमार ही थी

उत्तिवादी० द्वारा वादी के वादपत्र का  
स्वीकार कर लिया थी इस प्रकार प्रकरण  
में वादी व उत्तिवादीगण के मध्य आपसी  
विवाधक बिन्दुओं का अन्तर्गत थी

अतः प्रकरण के सुनावण पर  
सम्यक विचारोपान्त सम यह  
पार है, कि नाम कुमारी तक वादी  
का वाद स्वीकार योग्य थी

अतः वाद वादी स्वीकार किया  
जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि

22/11/14

ख  
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

3

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

ग्राम खैराबाद की इमि आराजी नं. 2249,  
 1559, 1562, 164, 2048, 2263, 2000, 2001, —  
 2002, 2003, 2005, 2006 पर रत विजेन्द्र कुमार  
 मिश्रा का नाम दिनेन्द्र कुमार मिश्रा रत  
 हो। राजस्व रिकार्ड में अमक दायर किया  
 जावे। तदनुसार डिफ्टी मुलिय हो।  
 पमावली की निमित्त में गठना की  
 जाकर जविल लेख भंडार हो।  
 विगत आज दिनांक 29.11.2018 को रत  
 द्वारा लिखाया जाकर विद्वन्त न्यायालय में  
 सुनाया गया।

(चिमनलाल भीगा)  
 R.A.S.  
 29/11/18

